न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।

A.B.P. No.-479/2026

Singheshwar P.S. Case No.-92/2023

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।

1. मो0 फैय्याज उर्फ फैय्याज आलम उम्र करीब 60 वर्ष पे0–स्व0 सदरूल हक उर्फ शेख सदरूल उर्फ शेख सदरूल हक
2. मो0 अय्याज उर्फ मुंशी जी उर्फ अय्याज आलम उम्र करीब 56 वर्ष पे0–स्व0 सदरूल हक उर्फ शेख सदरूल उर्फ शेख सदरूल हक
3. मो0 एजाज उर्फ मो0 इजाज अहमद उम्र करीब 39 वर्ष पे0 स्व0 सदरूल हक
4. मो0 अफगान उम्र करीब 36 वर्ष पे0–स्व0 सदरूल हक उर्फ शेख सदरूल उर्फ शेख सदरूल हक
5. गुलशन खातुन उम्र करीब 32 वर्ष पति–मो0 अैयाज आलम
6. निशांत आरा उम्र करीब 30 वर्ष पिता–मो0 फैय्याज
7. मो0 नोमान उर्फ मो0 नोमान आलम उम्र करीब 22 वर्ष पिता–मो0 फैय्याज

सभी साकिन–झिटकिया, वार्ड नं0–05, थाना–सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

आदेश की तिथि 10 जून, 2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण मो0 फैय्याज उर्फ फैय्याज आलम, मो0 अय्याज उर्फ मुंशी जी उर्फ अय्याज आलम, मो0 एजाज उर्फ मो0 एजाज अहमद, मो0 अफगान चारों पे0–स्व0 सदरूल हक उर्फ शेख सदरूल उर्फ शेख सदरूल हक, गुलशन खातुन पति–मो0 अैयाज आलम, निशांत आरा पिता–मो0 फैय्याज एवं मो0 नोमान उर्फ मो0 नोमान आलम के द्वारा सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–92/2023 अन्तर्गत धाराऐं–341, 323, 307, 379, 504/34 भा0द0वि0 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक शिबली साकिन झिटकिया, वार्ड नं0–5, थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा के स्थायी निवासी हैं। दिनांक 04.04.2023 समय करीब 03:00 बजे दिन में अभियुक्तगण मो0 फैय्याज, मो0 अय्यास उर्फ मुंशी जी,मो0 अफगान, मो0 एजाज, मो0 अय्याज, निशांता आरा एवं मो0 नोमान आये और सूचक के बने गोशल (तबेला) में बंधे भैंसो को जबरन खोलते हुए गोशल को तोड़ना चाहा तो सूचक के पुत्र दिलखुश ने विरोध कियातो मो0 एजाज ने लोहा के रड से दिलखुश को सिर पर मारा, हाथ से रोकना चाहा तो हाथ एवं सिर में काफी चोट लगा। चोट के कारण चक्कर लगकर जमीन पर गिर गया। सूचक के पुत्र दिलखुश के गले से सोना का चैन मो0 फैय्याज खींच कर निशांत आरा को दे दिया। सूचक के बड़ा बेटा मो0 एखलास बचाने आया तो मो0 अफगान एवं मो0 नोमान ने गला में गमछी ऐठते हुए खींचने लगा, जिससे दम घुटने लगा। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण ने सूचक के बेटा दिलखुश एवं एखलास को लाठी, फेंट एवं मुक्का से मारने लगा। हल्ला पर आस–पास के लोग आये तो सूचक एवं सूचक के बेटा को अधिक मार खाने से बचाया गया।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।

A.B.P. No.-479/2026

Singheshwar P.S. Case No.-92/2023

आदेश की तिथि 10 जून, 2026

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योति कुमार सिंह के द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष है, तथा–कथित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। मामले में सूकच द्वारा आरोप लगाया गया कि घटना दिनांक 04.04.2023 को घटित हुई है। जबकि थाना को सूचना दिनांक 08.042023 को दी गयी है। देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण भी नहीं दिया गया है। आवेदक अभियुक्त मो0 फैय्याज आलम द्वारा सूचक के विरूद्ध सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–81/2023 दर्ज किया गया है। उसी से बचने के लिए प्रस्तुत वाद किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया और न ही लंबित है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की गयी।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका द्वारा आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धाराऐं– 341, 323, 307, 379, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त पर सूचक के बेटे के साथ मारपीट करने का अभियोग लगाया गया है। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–81/2023 दर्ज है। वाद दैनिकी के पारा–2 में वादी का पुनः बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–6 में साक्षी गुलाम रसूल एवं पारा–7 में साक्षी मो0 अब्दुल्ला का बयान अंकित है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ट आभियोग नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण **मो0 फैय्याज उर्फ फैय्याज आलम, मो0 अय्याज उर्फ मुंशी जी उर्फ अय्याज आलम, मो0 एजाज उर्फ मो0 एजाज अहमद, मो0 अफगान, गुलशन खातुन, निशांत आरा एवं मो0 नोमान उर्फ मो0 नोमान आलम** को गिरफ्तार/आत्म–समर्पण करने पर मो0 10,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त इस आदेश के अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के **15 दिनों** के अन्दर न्यायालय में समर्पण करें तथा संबंधित न्यायालय धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के आलोक में इसे जमानत पर छोड़ने का आदेश करें।

लेखापित
ह0/–
(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।